



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-304

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 309038 दिनांक 29/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sadhana Gupta C/o Ashish Kumar Gupta	श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री संतोष कुमार गुप्ता	4	21.00 SQ. METER	JDA	PATRAKAR COLONY (COMM) Sector/Block-A	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदिका श्रीमती साधना गुप्ता पत्नी श्री आशीष कुमार गुप्ता द्वारा जविप्रा की योजना पत्रकार कॉलोनी (नीलामी) के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 21 व0मी0 का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 21.04.2009 को श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री संतोष कुमार गुप्ता के पक्ष में जारी किया गया था। लीजधारक द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2009 के माध्यम से पूर्णमा ए सेठिया को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								बेचान किया गया है। क्रेता सेठिया द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.11.2010 के माध्यम से भूखण्ड का बेचान विमल सक्सेना को किये जाने के उपरांत क्रेता विमल सक्सेना द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2013 के माध्यम से चन्द्र प्रकाश चौधरी को बेचान किया गया है। तत्पश्चात चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2017 के माध्यम से जयनारायण सक्सेना को बेचान किया गया है। क्रेता जयनारायण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2020 के माध्यम से भूखण्ड का बेचान आवेदिका को किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Sadhana Gupta C/o Ashish Kumar Gupta को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।